रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082025-265379
CG-DL-E-12082025-265379

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3579] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 12, 2025/श्रावण 21, 1947
No. 3579] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 12, 2025/SHRAVANA 21, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2025

का.आ. 3671(अ).— केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 3467 (अ) दिंनाकित 22 जुलाई, 2025 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना में, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(i) पैरा 2 के बिंदु संख्या 4 (क) के कॉलम 3 में शब्द और अंक "एआईएस-156 (भाग 1)*" के स्थान पर "एआईएस-156 (भाग 1): 2020*" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) पैरा 3 के बिंदु 6(क) के कॉलम 3 में शब्द और अंक "एआईएस-156 (भाग 2)*" के स्थान पर "एआईएस-156 (भाग 2): 2020*" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iii) पैरा 4 के बिंदु संख्या 8 के कॉलम 3 में शब्द और अंक "एआईएस 003 (संशोधन 1): 2022" के स्थान पर "एआईएस-003 (संशोधन 1): 1999" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iv) पैरा 4 के बिंदु 10 के कॉलम 3 में शब्द और अंक "एआईएस-041 (संशोधन 1):2015" के स्थान पर "एआईएस-041: 2003" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(v) पैरा 4 के बिंदु संख्या 11 (ख) का लोप किया जाएगा।

(vi) पैरा 4 के बिंदु संख्या 11 (ग) के कॉलम 3 में शब्द और अंक "एआईएस-054:2004*" के स्थान पर "एआईएस-045:2004*" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(vii) पैरा 4 के बिंदु संख्या 14 के कॉलम 3 में शब्द और अंक "एआईएस-002 (भाग 1)(संशोधन 2):2023 और संशोधन 1*" के स्थान पर "एआईएस-002 (भाग 1)(संशोधन 2):2023*" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(vii) पैरा 4 के बिंदु संख्या 17 के कॉलम 3 में शब्द और अंक "एआईएस-004 (भाग 3)" के स्थान पर "एआईएस-004 (भाग 3):2009" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(viii) पैरा 4 के बिंदु संख्या 18 (क) के कॉलम 3 में शब्द और अंक "एआईएस 039 (संशोधन 1)" के स्थान पर "एआईएस-039 (संशोधन 1): 2015" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ix) पैरा 4 के बिंदु संख्या 18 (ख) के कॉलम 2 में शब्द और अंक "(ख) न्यूनतम रेंज के संबंध में निष्पादन अपेक्षाएं" के स्थान पर "(ख) रेंज का मापन" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(x) पैरा 4 के बिंदु संख्या 18 (ख) के कॉलम 3 में "एआईएस-040 (संशोधन 1)" शब्दों और अंकों को "एआईएस-040 (संशोधन 1): 2015" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(xi) तालिका के नीचे दिए गए शब्द और अंक "[*ई-रिक्शा और ई-कार्ट के लिए क्रमशः एल5एम और एल5एन श्रेणी के सभी लागू प्रावधानों का पालन किया जाना है।]" के स्थान पर "[*ई-रिक्शा और ई-कार्ट के लिए क्रमशः एल5एम और एल5एन श्रेणी के सभी लागू प्रावधानों का पालन किया जाना है।] प्रतिस्थापित किया जाएगा।

उपरोक्त तालिका में निर्दिष्ट मानक अपने संशोधनों के साथ लागू होंगे।"

[फा. सं. आरटी-11036/109/2024-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 12th August, 2025

S.O. 3671(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 109 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of Government of India, number S.O. 3467(E), dated 22nd July, 2025, namely:-

2. In the said notification, following shall be substituted:-

(i) In column 3 of point No. 4 (a) of Para 2 the words and figures "AIS-156 (Part 1)*" shall be substituted with "AIS-156 (Part 1): 2020*".

(ii) In column 3 of point 6(a) of Para 3 the words and figures "AIS-156 (Part 2)*" shall be substituted with "AIS-156 (Part 2):2020*".

(iii) In column 3 of point No. 8 of Para 4 the words and figures "AIS 003 (Amd.1):2022" shall be substituted with "AIS-003 (Amd.1):1999".

(iv) In column 3 of point 10 of Para 4 the words and figures "AIS-041 (Rev. 1):2015" shall be substituted with "AIS-041: 2003".

(v) Point No. 11 (b) of Para 4 shall be omitted.

(vi) In column 3 of point No. 11 (c) of Para 4 the words and figures "AIS-054:2004*" shall be substituted with "AIS-045:2004*".

(vii) In column 3 of point No. 14 of Para 4 the words and figures "AIS-002 (Part 1)(Rev. 2):2023 & Amd 1*" shall be substituted with "AIS-002 (Part 1)(Rev. 2):2023*".

(vii) In column 3 of point No. 17 of Para 4 the words and figures "AIS-004 (Part 3)" shall be substituted with "AIS-004 (Part 3):2009"

(viii) In column 3 of point No. 18 (a) of Para 4 the words and figures "AIS 039 (Rev. 1)" shall be substituted with "AIS-039 (Rev. 1): 2015".

(ix) In column 2 of point No. 18 (b) of Para 4 the words and figures "(b) Performance requirements with regards minimum range" shall be substituted with "(b) Measurement of range".

(x) In column 3 of point No. 18 (b) of Para 4 the words and figures "AIS-040 (Rev. 1)" shall be substituted with "AIS-040 (Rev. 1): 2015".

(xi) The words and figures below the table " [*All applicable provisions for L5M and L5N category are to be followed for E-rickshaws and E-carts respectively.]" shall be substituted with "[*All applicable provisions for L5M and L5N category are to be followed for E-rickshaws and E-carts respectively.]

Standards specified in the table above shall be applicable along with their amendments"

[F. No. RT-11036/109/2024-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA